

पत्र संख्या : 7/वि.शा./सुवर्णरेखा परि. 14-01-2019-ज.सं. (खण्ड-I)- 51
 झारखण्ड सरकार
 जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
 सचिव

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्ण रेखा बहुदेशीय परियोजना/
 मुख्य अभियंता, चापिडल कम्पलेक्स/ईचा-गालौड़ीह कम्पलेक्स, सुवर्ण रेखा परियोजना;
 संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॅंची, दिनांक : 09/10/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना के विभिन्न कार्य प्रमंडलों को सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु रु. 1425.90 लाख (रु. चौदह करोड़ पच्चीस लाख नब्बे हजार मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश सं.-19/10-11 प्र० रवी० दिनांक 14.10.2010 Online AA-1466/01.11.19

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु वजट मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है
 (लाख रु. में)

क्र.	गैंग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2020-21 का वजट उपबंध	पूर्व में निर्धारित आवंटन	वर्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-रामान्य/ 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	12-ए.आई.पी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49C470080796120545	14000.00	0.00	1425.90	1425.90
2.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-रामान्य/ 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,	12-ए.आई.पी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49C470080789120545	6000.00	1271.78	0.00	1271.78
3.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-रामान्य/ 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	12-ए.आई.पी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49S470080796120545	5000.00	0.00	0.00	0.00
4.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-रामान्य/ 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,	12-ए.आई.पी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49S470080789120545	4000.00	0.00	0.00	0.00
5.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-रामान्य/ 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49S470080796130545	2500.00	0.00	0.00	0.00
6.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-रामान्य/ 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,	13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49S470080789130545	2500.00	0.00	0.00	0.00
7.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	80-रामान्य/ 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,	11-उडीरा/परिचम वंगाल की शेयर राशि, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49S470080796110545	2645.00	0.00	0.00	0.00
कुल				36645.00	1271.78	1425.90	2697.68
8.	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च, 2020 तक योजना पर कुल व्यय		वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल निर्धारित आवंटन		योजना पर कुल निर्धारित आवंटन	
	661374.00	654164.42526			2697.68	656862.10526	

वर्तमान आवंटित राशि – ₹ चौदह करोड़ पच्चीस लाख नब्बे हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)
 संयुक्त सचिव (अभि०)

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय निम्न वर्णित विवरणी में अंकित कार्य प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा:-

क्र.	प्रमंडल का नाम	विपत्र कोड	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में			On-line Allotment Access No	अभ्युक्ति
							पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-5 डिमना, जमशेदपुर (JSRIRR002)						0.00	163.93	163.93	48631	
2.	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-3 मानगो, जमशेदपुर (JSRIRR011)						0.00	178.25	178.25	48632	
3.	सुवर्ण रेखा नहर प्रमंडल जमशेदपुर (JSRIRR100)						0.00	254.10	254.10	48634	
4.	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-8 जमशेदपुर (JSRIRR010)						0.00	40.77	40.77	48636	
5.	सुवर्ण रेखा नहर प्रमंडल घाटशिला (JSRIRR018)						0.00	311.05	311.05	48637	
6.	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-12 मानगो, जमशेदपुर (JSRIRR006)						0.00	145.92	145.92	48638	
7.	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-10 घाटशिला (JSRIRR022)						0.00	37.35	37.35	48639	
8.	सिंचाई प्रमंडल, गालुडीह (JSRIRR104)						0.00	130.80	130.80	48640	
9.	बराज प्रमंडल, गालुडीह (JSRIRR074)						0.00	163.73	163.73	48641	
							योग	0.00	1425.90	1425.90	
12149C470080796120545											
656164.42526											
सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना											
सुवर्णरेखा - गालुडीह / चाँडीगढ़ कौमुदी नहर											

- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपर्युक्त (49C470080796120545) ₹ 14000.00 लाख (₹ एक सौ चालीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि योजना-सह-विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-1135, दिनांक-01.07.2020 के आलोक में केन्द्र प्रयोजित योजना के केन्द्रांश की राशि है।
- आवंटित राशि के निकारी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय रथायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/PMC/कार्य/404/06 (पार्ट II) 19/10-11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.10 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति, एवं सक्षम प्रधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा रखेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रख्यं राक्षण्य पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि का अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. विहार वित्तीय नियमावली (आग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/संविवालय अनुदेश तथा अन्य सुरांगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा रामय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।
15. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. विधिन इकाई गदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no कंडिका-2 के स्तंभ-10 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।



 (प्रशांत कुमार)
 सचिव

ज्ञापांक :— ५१

रॉची, दिनांक :— ०९/१०/२०२०

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला—खरसौवा/चाईबासा/चापिल/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




 (प्रशांत कुमार)
 सचिव

ज्ञापांक :— ५१

रॉची, दिनांक :— ०९/१०/२०२०

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (पो.) रॉची/अभियंता प्रमुख —। एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल रांसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशास्या—7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल रांसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



 (राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि.)



 (अशोक कुमार दास)
 रायुक्त सचिव (अभि.)



 (प्रशांत कुमार)
 सचिव